

कार्यवाही विवरण

मे० ए.सी.सी. लिमिटेड के नंदिनी खुंदिनी लाईम स्टोन माईन, ग्राम—नंदिनी खुंदिनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता— 0.15 मिलियन टन/वर्ष से 1.03 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया—53.57 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मे० ए.सी.सी. लिमिटेड के नंदिनी खुंदिनी लाईम स्टोन माईन, ग्राम—नंदिनी खुंदिनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता—0.15 मिलियन टन/वर्ष से 1.03 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया—53.57 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों हरिभूमि, रायपुर दिनांक 14.02.2015 एवं टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 14.02.2015 लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदनुसार लोकसुनवाई आज दिनांक 19 मार्च 2015 दिन गुरुवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला—दुर्ग की अध्यक्षता में नंदिनी खुंदिनी लाईम स्टोन माईन स्थल ए०सी०सी० लिमिटेड, ग्राम—नंदिनी खुंदिनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार झापट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं.—३, ई—५ अरेरा कालोनी भोपाल—१६, जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग, नगर पालिका परिषद, अहिवारा, जिला—दुर्ग, नगर पंचायत धमधा, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत पथरिया, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत मेडेसरा, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत पोटिया, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत परसदा, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत सगनी, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत कोडिया, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत पिटौरा, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत गिरहोला, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत सेमरिया, जिला—दुर्ग, ग्राम पंचायत हरदी, जिला—दुर्ग, मुख्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, कालोनी, कबीर नगर, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका— टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला—दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 04 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है :— 1. सरपंच ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, तहसील—धमधा, जिला दुर्ग।

(16)

2. श्री घनश्याम सिंह साहू, उपाध्यक्ष, तहसील साहू संघ, धमधा, ग्राम नंदिनी खुंदिनी, जिला दुर्ग।
3. मे० व्ही.एन.आर.सीडूस प्रा.लि., ग्राम देउरझाल, जिला—दुर्ग।
4. समस्त ग्रामवासी ग्राम—नंदिनी खुंदिनी, तहसील धमधा, जिला—दुर्ग।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 19 मार्च 2015 दिन गुरुवार पूर्वान्ह 11 बजे सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला—दुर्ग की अध्यक्षता में नंदिनी खुंदिनी लाईम स्टोन माईन स्थल ए०सी०सी० लिमिटेड, ग्राम—नंदिनी खुंदिनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला—दुर्ग द्वारा पूर्वान्ह 11 बजे दिन सोमवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत अजय गेडाम, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच.एस. राठौर, एकिटंग डायरेक्टर, प्लांट ए.सी.सी. जामुल सीमेण्ट वर्क्स, जामुल द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी के साथ ही माइन्स के संबंध में तकनीकी विवरण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वृक्षारोपण आदि से जन सामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. श्री देव ऋषि गिरोड़े, नंदिनी खुंदिनी, जिला—दुर्ग।
 - गांव में अत्यधिक विकास हो। साथ ही समाज का विकास हो।
 - ए.सी.सी. के द्वारा हमारी मांगें पूर्ण करें।
 - स्कूल में चार दीवारी का निर्माण हो।
 - गांव के पर्यावरण का ध्यान रखें।
 - ए.सी.सी. कंपनी द्वारा गांव में दो बोरवेल व शुलभ शौचालय का निर्माण कार्य जारी है।
2. श्री हेमशंकर शर्मा, वार्ड—6, जामुल, (देउरझाल का अस्थाई निवासी), जिला—दुर्ग।
 - ए.सी.सी. कंपनी यहां गांव में माइन्स के लिये जिला सरकार को आवेदन किया है।
 - मेरा ग्राम देउरझाल में एक एकड़ खेती है।
 - ईंट का टुकड़ा पड़ोस के घर में पहुंच जाते हैं।
 - मैं जामुल का निवासी हूं। वहां का किसान हूं। जामुल सन् 1965 में संचालित हुआ। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता था तो उस समय मेरे पिता जी सरपंच हुआ करते थे। उस समय कंपनी के बड़े अधिकारी यहां आकर उनसे मिलते थे। मुझे उस समय खुशी होती थी।
 - जब भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ, उस समय उसका भी विरोध हुआ।
 - माइन्स से रॉ मटेरियल के रूप में कच्चा माल निकलता है।
 - मैं एक किसान हूं। जब यहां प्लांट आयेगा तो ग्राम पथरिया, धमधा, मेडेसरा में विकास कार्य अवश्य होगा।

(17)

W

- आज से 10 साल पहले जामुल में एक प्राईमरी स्कूल हुआ करता था। उस समय परिवहन का ज्यादा साधन नहीं था।
- ए.सी.सी. के माध्यम से मीडिल स्कूल और हाईस्कूल का निर्माण करवाया गया तथा अहाता निर्माण भी करवाया गया।
- जामुल में सन् 1967 में एक पानी टंकी का निर्माण कंपनी द्वारा करवाया गया। उस समय वहां पानी की काफी किललत थी।
- जब जब विकास की बात कही गई तब तब ए.सी.सी. कंपनी विकास में अपना पूरा सहयोग दिया गया।
- आज जामुल की पहचान है तो ए.सी.सी. लिमिटेड से है।
- खदान खुलने से पर्यावरण को थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन अधिक नहीं होगा।
- एक किसान होने के नाते मैं कहता हूं कि इस खदान का पथर जब ए.सी.सी. प्लांट में जायेगा तो उससे क्षेत्र का विकास होगा।
- गांव के स्कूल की बाउण्ड्रीवाल इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है।
- खदान खुलने से खेत के उत्पादन में कोई नुकसान नहीं होगा।

3. श्रीमती करनजीत कौर भामरा, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।

- मैं प्राचार्य के पद पर नंदिनी खुंदनी में सन् 2009 से कार्यरत हूं।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा हमारे स्कूल में काफी विकास कार्य करवाया गया है।
- हमारा स्कूल एक आदर्श स्कूल के नाम से गिना जाने लगा है।
- इको क्लब के माध्यम से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किये हैं।
- पूर्व माध्यमिक शाला में भी बाउण्ड्रीवाल का काम चल रहा है। आगे भी विकास होगा।

4. श्री शेख शमशेर, नंदिनी नगर , जिला—दुर्ग ।

- मैं विगत 6 वर्षों से ए.सी.सी. द्वारा चलाये जा रहे महिला सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहा हूं।
- ए.सी.सी. कंपनी के सहयोग से ये प्रशिक्षण संभव हुआ है।
- मैं ए.सी.सी. लगाने का समर्थन करता हूं।

5. श्री प्रेमलाल देशलहरे, वार्ड-11 पंच, नंदिनी, जिला—दुर्ग ।

- ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी में चुनाव से पहले घास जमीन गांव का था। जिसमें अवैध कब्जा कर लिया गया है।
- कई लोगों द्वारा एक ट्रक दो ट्रक रेती, गिट्टी बेचा जा रहा है। इसे जल्द ही रोका जाये।
- लोग गांव के तालाब में नहाते हैं वहां पर कई लोग ईट, गिट्टी डाल देते हैं। जिससे नहाने में काफी दिक्कत होती है।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करवाया गया है, निर्मल घाट का निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा 160 लोगों को शिविर लगाकर चश्मा वितरण किया गया।
- कंपनी से शौचालय बनाने का निवेदन मेरे द्वारा किया गया है।

W
D

- कंपनी द्वारा दो-तीन बोर किया गया है। ऐसे ही विकास कार्य ए.सी.सी. कंपनी द्वारा चलता रहे।
- हास्पिटल की सुविधा चाहिये, बेरोजगारों को रोजगार चाहिये।
- बुर्जुग लोगों को पेंशन दिलाया जाये।

- 6. **श्री प्रदीप सिंग, एल्डरमेन छ.ग.शासन इंटेकवेल, उपाध्यक्ष, अहिवारा, जिला—दुर्ग।**
- विगत 35 वर्षों से खदान पथरिया से मेरा लगाव रहा है। क्योंकि माइन्स अधिकारी ए.पी.सिंग इस माइन्स को चालू किया था। उस समय हम स्कूलों में पढ़ा करते थे। तब काफी समय आने जाने में लग जाता था।
- आज वही पथरिया माइन्स है जहां हम आधा घण्टा में ड्यूटी करके अपने घर वापस चले जाते हैं।
- हमारा परिवार माइन्स से जुड़ा हुआ है। माइन्स के खुलने से वाटर लेवल दूर हो जायेगा।
- पानी की समस्या रहेगी। पूर्व में जामुल में लड़कियों की शादी कोई नहीं करता था, कारण कि वहां पानी का अभाव था।
- पथरिया में फलदार वृक्ष लगाया जाये। जहां नीबू, पपीता, अमरुद का पैदावार अधिक हो।
- आर्थिक रूप से पथरिया के लोग सुदृढ़ हो।
- शासन की योजनाओं का लाभ यहां के गांव के लोगों को मिले।
- महिला सशक्तिकरण का मैं हार्दिक स्वगत करता हूं।

- 7. **श्री रामचंद जांगड़े, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग।**
- सब अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों को मेरा नमस्कार है।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा हमारे गांव को काफी फायदा मिल रहा है।
- हमारे गांव में वर्तमान में प्राईमरी, मीडिल व हाईस्कूल में बाउण्ड्रीवाल की व्यवस्था कंपनी द्वारा करवाया गया है।
- निर्मल घाट का निर्माण कंपनी द्वारा करवाया गया है।
- सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य इनके द्वारा करवाया जा रहा है।
- माइक सेट की भी व्यवस्था करवाया गया है।
- बायोगैस का निर्माण भी करवाया गया है।
- स्कूल में बैंच का वितरण करवाया गया है।
- गांव में कूड़ादान चारों तरफ होना चाहिये।
- तालाब में नहाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये।
- गांव में पानी की बहुत समस्या है।
- गांव में 10 बिस्तर का हास्पिटल है।
- यहां चिकित्सा सुविधा का अभाव है। यहां डाक्टर कम हैं, 24 घण्टे यहां डाक्टर, नर्स की सुविधा हो।
- गली सीमेण्टीकरण कार्य करवाया जाये। विशेष कर जुन्ना बाजार के पास यह सीमेण्टीकरण का कार्य होना चाहिये।
- पेड़ पौधा कंपनी द्वारा लगाया जाना चाहिये।


- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग का काम सर्वसुविधायुक्त ढंग से करेगा। पर्यावरण के पूरे नियम का पालन करेगा।
- आम जनता को किसी भी प्रकार का नुकसान ब्लास्टिंग से नहीं होगी।
- गांव के मकान खदान से काफी दूर स्थित रहेगा।
- ए.सी.सी. प्रबंधन से निवेदन है कि जहां जहां खाली जगह दिखे वहां वहां पर पेड़ अधिक से अधिक लगाये।
- पेड़ काटने वाले को पकड़ा जाये और बन्दी बनाया जाये। इसमें गांव के पंच को पूरा सहयोग देना चाहिये।
- पेड़ बढ़ेगा तो नर्सरी बन जायेगा। इस पर प्रशासन को पूरा ध्यान देना होगा।
- पेड़ हैं तो जीवन है। ए.सी.सी. कंपनी द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाये और उसका देखरेख भी किया जाये।
- गांव के बड़े मंदिर यानि स्कूल की अच्छा व्यवस्था होना चाहिये।
- गांव में अच्छा लैब, अच्छे शिक्षक, टेबल, व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खुलना चाहिये।
- कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
- आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या बढ़ाया जाये। स्कूल की बाउण्ड्रीवाल बनना चाहिये।
- यहां विकास की गंगा बहाये कंपनी से हमें यही अपेक्षा है।
- विकास की गति धीमी नहीं पड़ना चाहिये। तभी इन्हें एन.ओ.सी. दी जाये।

8. श्री राजू पासवान, नंदिनी, पथरिया, जिला—दुर्ग ।

- मैं सन् 1985 से पथरिया खदान में झायवर हूं। पहले डबल शिफ्ट में गाड़ियां चलती थीं। वहां 150 झायवर व 150–200 हेल्पर रहते थे।
- पथरिया माइन्स में वाहन चलने से बीएसपी. कर्मचारी आवागमन करते थे।
- इस माइन्स को लीज दिया जाये।
- नानक ट्रांसपोर्ट अच्छी कंपनी है जहां मैं अपने पूरे परिवार को लेकर चलता हूं।
- यहां 12 – 24 घण्टा काम चलता है, तो सबको रोजगार मिलेगा।
- मेडेसरा में कंपनी द्वारा सिलाई मशीन दिया जा रहा है। कई लोग सिलाई मशीन खरीदने में असमर्थ हैं।
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

9. श्री आत्माराम जांगड़े, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।

- कंपनी द्वारा ग्राम नंदिनी खुंदनी या पथरिया के हृदय स्थल से जो खनिज संपदा खनन कर जामुल ले जा रहे हैं, जिससे भविष्य में वहां पर बड़े उत्पादन होने का प्रचार हो रहा है।
- कंपनी का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा ग्राम नंदिनी खुंदनी व पथरिया को गोद लिया गया है।
- नंदिनी खुंदनी को जे.के.लक्ष्मी द्वारा भी गोद लिया गया है। मैं उनके कंपनी प्रमुख श्री मेहता से मिलने गया तो मुझे कहा गया कि मैं गांव को धार्मिक कार्य हेतु गोद लिया हूं। हम गुरुधासी जयंती के अवसर उन्हें बुलाने गये तो भी वे यहां नहीं आये। उनके द्वारा तीन लाख सत्तर हजार विकास कार्य हेतु प्रदान भी किया गया था।



- ए.सी.सी. कंपनी के अधिकारी जे.के.लक्ष्मी के अधिकारी जैसा न करें और हमारा पूरा सहयोग प्रदान करें।
- 10. श्री एलन दास पाटिल, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।**
- मैं 20 किमी. की दूरी से काम करने जाता हूं।
 - ए.सी.सी. कंपनी खुलता है, तो कई बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा।
 - ए.सी.सी. कंपनी द्वारा प्राईमरी स्कूल में बैच, कुर्सी, टेबल, बोर, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि कार्य करवाया गया है।
 - मैं पूर्ण सहमत हूं कि ए.सी.सी. कंपनी खुले।
 - लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- 11. श्री मनू लाल खरे, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।**
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा अच्छा काम ग्राम में करवाया गया है।
 - पर्यावरण लोक सुनवाई हेतु मैं अपना सहमति प्रदान करता हूं।
 - हमारे गांव में बेरोजगार अधिक हैं। उन्हें ए.सी.सी. वाले योग्यता के अनुसार रोजगार दे। परमानेन्ट / ठेकेदारी में नौकरी दे जिससे उनका भरण पोषण हो।
- 12. श्री दशरथ चकधारी, पथरिया, जिला—दुर्ग ।**
- मैं ए.सी.सी. कंपनी को 43 साल से जानता हूं। यहां पहले कमर कमर तक गहरे गड्ढे थे। उस समय कंपनी में मदन मोहन जनरल मैनेजर हुआ करते थे।
 - उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले।
- 13. कु0 देवकी कश्यप, नंदिनी खुंदनी , जिला—दुर्ग ।**
- माइनिंग लीज हेतु यहां लोक सुनवाई आयोजित हो रही है। यदि कंपनी हमें पूरा सहयोग दे और लाखों पेड़ लगाये जिससे क्षेत्र हरा भरा रहे तो मेरी सहमति है।
- 14. श्री अशोक बाफना, नंदिनी अहिवारा, जिला—दुर्ग ।**
- लोगों के विचार से मैं पूर्ण सहमत हूं जो कंपनी के पक्ष में कहे हैं।
 - ए.सी.सी. कंपनी हमारे गांव में सन् 1965 से 2015 अर्थात् 50 वर्ष से लगभग अच्छे काम कर रही है।
 - मैं व्यवसाय के रूप में कंपनी से जुड़ा हुआ हूं।
 - मैं कर्म से किसान हूं। मेरी भी इस गांव में 2-5 एकड़ जमीन है।
 - नंदिनी, पथरिया को पूरे विश्व में सेंकड़ नंबर पर लाईम स्टोन का डिपॉजिट माना जाता है। ए.सी.सी. कंपनी द्वारा एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है।
 - ए.सी.सी. परिवार से मैं काफी दिनों जुड़ा हुआ हूं।
 - ए.सी.सी. कंपनी में हमारे घर की बहु-बेटियां लकड़ी छेना बिनने जाती हैं, तो उसे बराबर सम्मान दिया जाकर उन्हें पूरा सहयोग किया जाता है।
 - ए.सी.सी. कंपनी द्वारा सड़क बनाने में पूरा सहयोग किया गया है।
 - ए.सी.सी. कंपनी द्वारा खुले मंच में 5 एकड़ क्षेत्र में जन सुनवाई करवाई जा रही है। ऐसी पारदर्शिता मुझे अच्छा लगा है।



- उत्खनन के मामले में इन्हें एन.ओ.सी. दी जानी चाहिये। कंपनी को मेरा पूरा समर्थन है।

- 15. श्री अशोक भारती, देउरझाल, जिला—दुर्ग ।**
- मैं देउरझाल का निवासी हूं। यहां के निवासियों को जो बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा उन्हें नहीं मिल रही है।
- मैं खदान खुलने का आपत्ति करता हूं।
- व्ही.एन.आर. सीड़स में 150 लोग काम करते हैं।

- 16. श्री विजय कुमार पथरिया , जिला—दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

- 17. श्री राजकुमार टंडन, पथरिया , जिला—दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया।

- 18. श्री मनू लाल ठाकुर, पथरिया , जिला—दुर्ग ।**
- राज्य शासन द्वारा लीज पर चूना पत्थर खदान प्रदान किया जाये।
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

- 19. श्री चंदन गुप्ता, जामुल, हितवाद संवाददाता, जिला—दुर्ग ।**
- वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। वे सभी ने ए.सी.सी. के संबंध में अपने विचार रखे।
- ए.सी.सी. को हम लोगों बहुत ही करीब से देखा है।
- जामुल में पानी की समस्या रहती थी इस कारण वहां लोग लड़कियों की शादी नहीं कर पाते थे। आज ऐसा नहीं है, वहां पर्याप्त पानी उपलब्ध है।
- पथरिया गांव में डस्ट पानी जो बहता था उसे ए.सी.सी. कंपनी द्वारा डेम बनाकर खेती कार्य में उपयोग करवाया गया है।
- पथरिया गांव तक सीमेण्टीकरण करवाया गया।
- ए.सी.सी. कंपनी ने बहुत ही अधिक विकास कार्य करवाई है।
- यह कंपनी विधायक श्री कोर्सेवाड़ा जी के सहयोग से ही लग रही है। विधायक श्री कोर्सेवाड़ा जी ने कहा कि फैक्ट्री चलाने के लिये रेल, सड़क, खनिज संपदा की आवश्यकता होती है। छ.ग.शासन से जो सहयोग चाहिये वह मेरे द्वारा किया जायेगा।
- खदान खुलने से विकास में किसी प्रकार बाधा नहीं आयेगी।
- ट्रांसपोर्टर वर्ग को भी चाहिये कि गांव के लोगों को ट्राईसिक्ल बांटने का कार्य करे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विकलांग लोगों को 250 रुपये की सहयोग राशि उनके द्वारा दी जाने की घोषणा की गई है।
- जो पेड़ कंपनी द्वारा लगाया गया है वह आज बहुत फल—फूल रहा है। कंपनी उसका पूरा देख रेख भी कर रही है।
- खदान खुलने से सामान्य प्रदूषण की स्थिति रहेगी।
- इस क्षेत्र का विकास होगा जैसे जामुल क्षेत्र का विकास हुआ है।

- क्षेत्रीय बेरोजगारों लोगों को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा।
 ➤ आज ठेके पर पूरी कंपनियों चल रही है।
20. श्री आशाराम जांगड़े, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।
 ➤ मैं कंपनी खुलने का समर्थन देता हूं।
21. श्रीमती ज्ञानेश्वरी साहू, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।
 ➤ ए.सी.सी. कंपनी आसपास के गांव के क्षेत्र में विकास कार्य करें यही मेरा निवेदन है।
 ➤ आसपास के जितने गांव आते हैं वहां कंपनी पानी आदि के लिये अपने से कार्य करें।
22. श्री ओमी कुमार महिलांग, अहिवारा, जिला—दुर्ग ।
 ➤ क्षेत्र में विकास हो।
 ➤ आपत्ति यदि आती है तो सुनवाई भी होती है।
 ➤ विद्यालय में भवन निर्माण, अस्पताल की व्यवस्था, सड़क, पानी की व्यवस्था हो।
23. कु0 मंजू साहू, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।
 ➤ ए.सी.सी. कंपनी द्वारा चलाई जा रही सिलाई प्रशिक्षण से मैं प्रशिक्षण पा रही हूं।
24. श्री लोकेश जैन, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।
 ➤ आज यहां जन सुनवाई का आयोजन किया गया है।
 ➤ हमारे गांव में बड़ी बड़ी समस्या है। सभी ने अपने अपने गांव की समस्याओं को बताया है।
 ➤ सरपंच पर पेड़ कटाई का आरोप है। वर्तमान में सरपंच द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है।
 ➤ हमारा गांव 2900 एकड़ में स्थित है।
 ➤ इसमें बीएसपी द्वारा 1 हजार एकड़ में माइन्स चलाया जा रहा है और जे.के.लक्ष्मी द्वारा 800 एकड़ में माइन्स चलाया जा रहा है। अन्य माइन्स 300 एकड़ में माइन्स संचालित कर रहे हैं।
 ➤ यहां पशु चारागाह का निर्माण किया जाये।
 ➤ रहवास की समस्या से निजात दिलाई जाये।
 ➤ हमारे गांव में बेरोजगारों की समस्या बहुत अधिक है। कंपनी 40 वर्षों से यहां काम कर रही है। वर्तमान में 2 वर्षों से विकास का कार्य कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पर्यावरण की स्वीकृति चाहिये।
 ➤ भारत देश के बाहर कंपनी का कोई नाम नहीं है।
 ➤ 100 एकड़ की जमीन ही हमारे गांव में शेष बची है।
 ➤ यहां मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव आया है।
 ➤ मैं सरपंच महोदय के साथ हूं।
 ➤ लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया।



W

25. श्री रविशंकर सिंह, अहिवारा, जिला—दुर्ग ।

- विगत दिनों पथरिया माइन्स की जनसुनवाई उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये हुई।
- आज ए.सी.सी. नंदिनी में नई खदान खोलने जा रही है।
- इसी जगह पर बीएपी प्रबंधन द्वारा 55 वर्ष पूर्व माइनिंग कार्य प्रारंभ किया गया। उन्हे कुछ टेक्नीकल समस्या आई। बाद में पिटौरा में माइन्स उनके द्वारा खोला गया। कालांतर में ए.सी.सी. माइन्स आई और खदान खोले।
- पिछले 40–50 साल से उनके द्वारा माइन्स का कार्य किया जा रहा है।
- इस तरह की सुनवाई में जनता से उनकी समस्या को सुना जाये। उस पर विचार विमर्श किया जाये। इसी उद्देश्य से जन सुनवाई होती है।
- हमारे क्षेत्र में बड़े उद्योग आये और लोगों को रोजगार मिले।
- यह क्षेत्र चूने के पत्थर के भण्डार से भरा क्षेत्र है।
- हमारे क्षेत्र में खनिज का उपयोग हो।
- आर्थिक, सामाजिक उन्नति हो।
- सी.एस.आर. एक्टिविटी के माध्यम से विकास कार्य कंपनी द्वारा करवाया जाता है। हर संभव सहयोग कंपनी द्वारा दिया जाये।
- एक समय कंपनी में 600 लोग काम करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 300 के आसपास रह गई है।
- जो बड़े उद्योग आते हैं वे माइन्स के साथ न्याय नहीं करते हैं।
- बीएसपी. के काफी लोग पलायन कर गये हैं।
- कंपनी नई माइन्स को प्रारंभ करे और ग्रामीणों के समस्या को पूरा करें।
- नंदिनी रोड़ का निर्माण पथरिया तक बनाई गई। जिससे परिवहन सुविधा मिल सकें।
- टाउनशिप से नंदिनी विमान तल तक के क्षेत्र में सड़क का अधिग्रहण किया गया है उसे दो हिस्सों में निर्मित किया जाये।
- एक समय यह रोड़ जर्जर थी जिससे संधारण कार्य करवाने हेतु बीएसपी प्रबंधन द्वारा कराया गया। बीएसपी प्रबंधन द्वारा 10 टन अधिभार के लिये संधारण कार्य किया गया जिससे सड़क पुनः जर्जर हो गया। कलेक्टर महोदया के सहयोग से पुनः सड़क का संधारण कार्य करवाया गया।
- नंदिनी कशर के अन्य उद्योग द्वारा इस सड़क का पूरा उपयोग किया जा रहा है।
- दो लेन की सड़क का निर्माण किया जाये।
- माइनिंग कंपनी द्वारा 33 प्रतिशत रायल्टी की राशि ग्रामों में खर्च की जायेगी।
- इस राशि चिकित्सा, सड़क एवं अन्य क्षेत्र में इसका उपयोग किया जायेगा।
- खदानों के नियम जो बनाये गये हैं उस नियम का पालन करते हुए ए.सी.सी. कंपनी अपनी माइन्स को प्रारंभ करें।

26. श्रीमती गौरी निषाद, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।

- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

27. श्री शिवकुमार वर्मा, पथरिया, जिला—दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा आसपास गांव में किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है।
- ग्राम सहगांव में जब भी बाढ़ आता है तो शासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है।

11
Q

- ए.सी.सी. यदि 1000 का विकास कार्य कराया हो तो उससे अवगत कराये।
- कंपनी द्वारा दो करोड़ का एक प्रतिशत भी गांव के विकास में नहीं लगाया गया है। स्थानीय कंपनी रोजगार नहीं देगा तो हम सभी इसका घोर विरोध करते हैं।
- 10 लोगों को परमानेन्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।
- फैकट्री खुलने पर फैकट्री के आसपास शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी दिया जाये।

28. श्री उमेश पासवान, अहिवारा , जिला—दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा 0.15 से 1.03 मिलियन टन/वर्ष हेतु माइनिंग लीज के लिये जनसुनवाई कराई जा रही है।
- जिस जमीन पर आज जनसुनवाई कराई जा रही है, उस जमीन पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा 6–7 माह पहले आपत्ति लगाई गई है।
- करोड़ों टन उत्खनन प्रबंधन द्वारा किया जा चुका है।
- कृपया इसका निराकरण करें।

29. श्री घनश्याम यादव, नंदिनी खुंदनी , जिला—दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा यदि माइनिंग उत्खनन कराया जायेगा।
- यह क्षेत्र घना रहवासी क्षेत्र है। खदान खुलने से इन्हें काफी समस्या होगी।
- चारागाह की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी।
- यहां श्मशान की जगह नहीं है। गांव के लोग इसी जगह का उपयोग कर रहे हैं।
- यहां पर शासकीय स्कूल, आंगनबाड़ी संचालित हैं जो माइन्स खुलने से प्रभावित होगा।
- यह क्षेत्र का कुल रकमा 2900 एकड़ है। जिसमें 800 एकड़ में जे.के. लक्ष्मी माइन्स, 300 एकड़ छोटे छोटे माइन्स तथा 1000 एकड़ में ए.सी.सी. माइन्स संचालित है।
- कंपनी लगाने का मैं घोर आपत्ति करता हूं।
- कंपनी विकास की बात करती है तो विकास करें फिर हमारे द्वारा सोचा जायेगा।

30. श्री वामन साहू, नंदिनी खुंदनी , जिला—दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा विकास कार्य करवाया जाये यह जरूरी नहीं है। विकास तो हमारे विधायक, सरपंच, पंच भी करवा सकते हैं।
- हमारा गांव जे.के.लक्ष्मी व अन्य माइन्स से धिरा हुआ है।
- निस्तारी योग्य भूमि पर अब ए.सी.सी. कंपनी अपना माइन्स लगाना चाह रही है तो उन्हें इसके लिये एन.ओ.सी. दिया जाना ठीक नहीं है।
- हमारे गांव में निस्तारी हेतु छोटा जगह भी नहीं बचेगा।

31. श्री भुवन साहू, अहिवारा, जिला—दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी को हम 40 वर्षों से जानते हैं।
- अब तक पथरिया गांव के लिये इन्होंने क्या किया ?
- इनके द्वारा काफी आश्वासन दिया जायेगा।
- आप पिछले 35–40 वर्षों में आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किया गया ? कृपया बताये।
- आज जनसुनवाई की जरूरत क्यों पड़ी ?

► इन्हें अपना एजेण्डा पूरी तरह कलीयर करना होगा तब ही इन्हें यहां की जमीन दी जायेगी।

32. श्री विवेक कश्यप, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।

► विकास और उन्नति यह दोनों ऐसे पूरक शब्द हैं जो इस धरती पर और मनुष्यों के लिये और जानवरों के लिये हैं। यह एक प्रकार से भ्रमित भी करता है।
 वर्तमान में पर्यावरण असंतुलन से हम सब गुजर रहे हैं।
 मेडेसरा में सैकड़ों एकड़ जमीन पावर ग्रिड द्वारा ले ली गई।
 विगत महिनों में मेडेसरा में तापमान में वृद्धि हुई है।
 विगत 5 वर्षों पेड़ कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया।
 यहां भी माइन्स लगाने जा रहा है। यहां भी वही स्थिति होगी जहां मेडेसरा में तापमान में वृद्धि हुई है।
 कितने लोगों परमानेन्ट नौकरी दी गई है।
 जे.के. लक्ष्मी द्वारा एनीकट को खोल दी गई है जिससे बोरवेल सूख चुका है और खेती कर पाना असंभव हो गया है।
 क्या मुआवजा देने जे.के. लक्ष्मी सामने आयेगी।
 ये कंपनियां बड़े बड़े वायदे करते हैं।
 यहां की जनसंख्या लगभग 7000 है।
 आने वाले समय में उन्हें जमीन रहने के लिये क्या उन्हें दी जायेगी ?
 मेडेसरा से बाड़ियां लगी हुई हैं।
 नहर नाली भी लगी हुई है। जो काफी प्रभावित होगी कंपनी लगाने से।
 पर्यावरण को नुकसान होगा। हमें पर्यावरण को बचाना है।
 यदि हमारे पास डिग्री है तो नौकरी मिल ही जायेगी।
 कंपनी का कहना है कि हमें सिर्फ एन.ओ.सी. चाहिये।
 वर्तमान स्थिति में तापमान बढ़ेगा, बिजली दर बढ़ जायेगी।
 गांव में एसीसी. ने लॉबिंग चालू किया है। वह उन्हें अपने पक्ष में कर लेती है। जिससे गांव के ही लोगों में आपस में मतभेद हो रहा है।
 लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

33. श्री भोमराज जैन, नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।

► ग्राम नंदिनी खुंदनी मेरा जन्म भूमि है।
 हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी द्वारा सड़क निर्माण कार्य करवाया गया।
 कंपनी द्वारा माइन्स लगाने एन.ओ.सी. की मांग की जा रही है।
 इनके द्वारा विकास कार्य केवल अखबार में दिखता है।
 प्रशासन और प्रबंधन के बीच सब कार्य कर लिया जाता है।
 गांव में मवेशियों के लिये चारागाह की सुविधा नहीं है।
 गांव वालों के लिये कंपनी द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है।
 कंपनी द्वारा किसी भी नवयुवक को नौकरी नहीं दी गई है।



५४

- छोटी छोटी कंपनियां आई, जिससे गांव के लोग पल बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़े उद्योग से प्रदूषण फैलता है।
- 200 लोग समीपस्थ कशर व माइन्स में काम करते हैं।
- हमारे गांव के आसपास कोई छोटा उद्योग नहीं लगता है। क्योंकि धूल डस्ट से लोग परेशान हैं।
- कंपनी द्वारा मुझे भी प्रलोभन दिया गया है।
- हमें सिर्फ बहलाया – फुसलाया जा रहा है। गुमराह किया गया है।
- कंपनी द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य नहीं करवाया गया है।
- हमारे गांव में अच्छे अच्छे ग्रेड के खनिज हैं। इस कारण ए.सी.सी. कंपनी द्वारा हमें लालच दिया जा रहा है कि हमें एन.ओ.सी. दिला दें।
- गांव के हर बेरोजगार युवक को नौकरी दे तभी कंपनी को एन.ओ.सी. दी जायेगी।
- कंपनी द्वारा संतुलित ब्लास्ट की जायेगी, की बात कही जाती है जो गलत है।
- कंपनी का एन.ओ.सी. निरस्त किया जाये।
- ए.सी.सी. कंपनी पिछले 40 वर्षों से संचालित है।
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

34. श्री योगेश सोनकर, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।

- माइन्स के पीछे मेरा एक बाड़ी है।
- यहां गांव के आसपास 4—5 वर्ष पूर्व कशर खोले गये जिससे रोड़ की दुर्गति हो गई।
- अगर रोजगार ए.सी.सी. कंपनी द्वारा दिया जाता है तो एन.ओ.सी. दी जायेगी।
- रोजगार का मतलब है परमानेन्ट नौकरी, अस्थाई नहीं।
- यहां के युवाओं में काफी सामर्थ्य है।
- जो कंपनी आती है वह धोखा देती है।
- यहां के युवा पलायन कर रहे हैं।
- मैं एक एग्रीकल्चर साइन्टीस्ट हूं।
- युवाओं में ज्यादा रोष व्याप्त है। युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता है।

35. श्री घनश्याम सिंग साहू, नंदिनी खुंदनी , जिला—दुर्ग ।

- हम जिस संस्था के अधीन कार्यरत हैं उसी के अधीन कार्य करते हैं। यह बात हमारे गांव के युवा अधिवक्ता के मुख से सुना।
- भिलाई इस्पात संयंत्र में चले तो हमारे गांव के लोगों को जिस प्रकार से रोजगार मिलना था, पर्यावरण विकास होना था, वह आज तक नहीं हो पाया। कारण था लोगों की उपेक्षा करना और संसाधनों का भरपूर दोहन करना था।
- इस स्थल पर जहां माइन्स लगने वाली है 7000 पशुओं का चारागाह स्थल है। यहां आम आदमियों का जीवन यापन हो सकता है।
- जलवायु की गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। प्रदूषित वायु से लोगों को बीमारी होगी।
- यहां आधा किमी. की दूरी पर बस्ती स्थित है।
- सार्वजनिक तालाब, गौठान, शासकीय चिकित्सालय लगा हुआ है। इन्हें संकामक बिमारियों से आप कैसे बचा सकेंगे।

✓
Signature

- 18–19 वार्ड है, जिसके समीप प्राथमिक स्कूल, इंद्रा आवास योजना के तहत लोगों को बसाया गया है। यहां के राजस्व रिकार्ड में अतिरिक्त कोई भूमि स्थित नहीं हैं।
- प्रस्तावित भूमि के अंतर्गत जल स्रोत कृषि का मुख्यस्रोत है।
- शासकीय तालाब उत्तर दिशा में स्थित हैं।
- यहां जल स्रोत बढ़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। कहां से जल स्रोत बढ़ेगा ?
- एयरफोर्स लगभग 6 किमी. की दूरी पर स्थित है।
- मीडिल स्कूल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है।
- आज गांव के पास जमीन नहीं है।
- यदि माइन द्वारा लीज पर यह जमीन ले ली जाती है तो यहां के लोगों को आप कहां पर जमीन देंगे।
- यहां पूर्व में जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट ग्रुप आई। उनके द्वारा किसी भी ग्रामीण को नौकरी पर नहीं लिया गया।
- आज आपके द्वारा बेरोजगारी दूर करने की बात कही जाती है। जो केवल खानापूर्ति है।
- गांव के लोगों के साथ बैठक कर अपनी अपनी समस्या का समाधान आपस में बैठकर किया जाना चाहिये जो कि नहीं किया गया।
- आज बोर करवाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बोर करवाया गया।
- रायल्टी का लाभ गांव के विकास में क्यों नहीं किया गया।
- मैं जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट ग्रुप से आज भी लड़ रहा हूं।
- समस्या का समाधान न हो तब एन.ओ.सी. न दी जाये।
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

36. श्री मधुसूदन पाण्डे, नंदिनी खुंदनी, जिला-दुर्ग ।

- ए.सी.सी. कंपनी को एन.ओ.सी. नहीं दिया जाये।
- यहां की आबादी लगभग 7000 है।
- यहां निस्तारी का एकमात्र साधन हैं।
- कंपनी द्वारा स्थाई नौकरी नहीं दी गई है।
- किसानों के पास करीब 100 एकड़ भूमि है।
- यदि कंपनी को माइन्स हेतु जमीन दी जाती है तो किसानों को काफी परेशानी होगी।
- हमें 2–3 किलोमीटर दूर से अपने धान लेकर आना पड़ेगा। इस पर रोक लगाई जाये।
- वीएन.आर. कंपनी 5 एकड़ जमीन लेकर हमारे गांव को लोगों को रोजगार देगा।
- यहीं इसी स्थल पर मुक्तिधाम भी प्रस्तावित है। साथ ही खेल का मैदान भी प्रस्तावित है।
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

37. श्री धनेन्द्र साहू, नंदिनी खुंदनी, जिला-दुर्ग ।

- हमने इस जनसुनवाई में काफी लोगों से कुछ अच्छे बुरे बात सुनी।
- आज कंपनी को एन.ओ.सी. चाहिये उसी के एवज में कंपनी द्वारा विकास कार्य गांव में कराया जा रहा है।

- इस क्षेत्र में ब्लास्टिंग के दौरान उड़ने वाली जहरीली गैस को दूर करने के लिये क्या प्रयास किया है ? कृपया बताये।
- जमीन नहीं देंगे, मैं इसका पूरजोर विरोध करता हूं कंपनी को एन.ओ.सी. न दे।

- 38. श्री हेमशंकर शर्मा, जामुल , जिला—दुर्ग ।**

 - जामुल की रकबा करीब 3 एकड़ थी।
 - सन् 1965 की बात है, ए.सी.सी. जामुल द्वारा 2500 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया था।
 - सन् 1972 में धरमपाल गुप्ता जामुल का हेड हुआ करता था। इस समय श्री झुमुकलाल वित्त मंत्री हुआ करते थे। इनके द्वारा जामुल का काफी विकास किया गया।
 - उस समय इक्पूमेन्ट मशीन विकसित नहीं हुआ था। मुझे मेरे जमीन का पूरा मुआवजा मिला था।
 - मैंने कंपनी में ग्रेज्युएट होकर 39 साल की नौकरी किया हूं।
 - मेरे पिता जी जामुल में सरपंच हुआ करते थे। उस समय भी अधिकारी, कर्मचारी हुआ करते थे।
 - कंपनी को लीज के लिये एन.ओ.सी. मिलनी चाहिये।

- 39. श्री शत्रुहन ठाकुर, नंदिनी खुंदनी , जिला—दुर्ग ।**

 - मेरे जमीन जे.के. लक्ष्मी के अंतर्गत निकला है।
 - जमीन का मुझे मुआवजा नहीं मिला है।
 - मेरे सामने जीवन यापन की समस्या आ गई है।
 - कंपनी ने मेरे नौकरी के लिये ध्यान नहीं दिया।

- 40. श्री नियाकत अली, पोटिया, मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।**

 - ग्राम देउरझाल भी अभागा गांव जैसे आसपास के गांव है।
 - बीएसपी कंपनी के अंतर्गत हमारे गांव की दो हिस्से की जमीन चली गई है।
 - बीएसपी प्रबंधन गांव के श्मशान घाट को भी नहीं बख्शा है। उनके द्वारा श्मशान घाट हड्डियों को भी लोहा में गलाकर बीएसपी. प्रबंधन द्वारा बेचा जा रहा है।
 - पानी की समस्या है। हम लोग श्री परगनिहा साहब के पास अपनी समस्या रखे तो उनके द्वारा कहा गया कि हम आप के गांव का ठेका नहीं लिये हैं। हमसे आप आशा मत रखिये।
 - बीएसपी. प्रबंधन आज चारों ओर यह बात करता है कि आसपास माइन्स से लगे गांव का विकास कार्य हमारे द्वारा करवाया जाता है।
 - प्लांट लगने से हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बीएसपी प्रबंधन द्वारा उन्हें नौकरी नहीं दी गई।
 - मजदूरों को निकालकर मशीनों द्वारा बीएसपी में कार्य किया जा रहा है जिससे मजदूर भाई बेरोजगार हो गये।
 - देउरझाल के निवासी इस आंदोलन में शामिल हैं।
 - इस कंपनी लगने का हम विरोध करते हैं।



41. आखिल्लूराम साहू नादनी खुदनी, जिला—दुर्ग ।
- ए.सी.सी. खदान विगत कई वर्षों से संचालित है उससे ग्रामवासियों को क्या मिला ?
 - खदान से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा ।
 - हमें ऐसी उद्योग नहीं चाहिये ।

सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला—दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये, उसका संक्षिप्त विवरण पढ़कर सुनाया गया ।

सुनील जैन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला—दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों पर उद्योग प्रतिनिधि को अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया । तत्पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच.एस. राठौर, एकिटंग डायरेक्टर, प्लांट में ए.सी.सी. जामुल सीमेण्ट वर्क्स, जामुल जिला—दुर्ग द्वारा लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी दी गई जो निम्नानुसार है :—


- गांव में फृट प्लांटेशन किया जायेगा ।
- गांव में सुलभ शौचालय हेतु कंपनी द्वारा पूरी भागीदारी निभाई जायेगी ।
- विकास से जुड़े कई कार्य जैसे—सड़क निर्माण, पानी की समस्या आदि कार्य करवाये जायेंगे ।
- हमारे कंपनी द्वारा ग्रीनबेल्ट डेवलप किया जायेगा ।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 19 मार्च 2015 दिन गुरुवार को लिखित में 24 आवेदन मौके पर प्राप्त हुए । जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	श्री विवेक कश्यप एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम—मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।	ए.सी.सी. को एन.ओ.सी. न देने बाबत ।
2.	श्री मधुसूदन पाण्डे, ग्राम—नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग ।	जन सुनवाई के दौरान ए.सी.सी. को एन.ओ.सी. न दिये जाने बाबत ।
3.	श्री घनश्याम सिंह साहू उपाध्यक्ष, तहसील साहू संघ, धमधा, ग्राम व पो ० नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग ।	मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड प्रस्तावित खदान 53.57 हेतु लीज उत्खनन परियोजना पर्यावरण के संवर्धन हित में आपत्ति हेतु ।
4.	श्री लोकेश जैन, उप सरपंच, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।	ए.सी.सी. लिमिटेड को प्रस्तावित नंदिनी खुंदनी के लाइम स्टोन माइनिंग लीज देने के संदर्भ में आपत्ति ।
5.	श्री भौमराज जैन, सरपंच ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग ।	ए.सी.सी. लिमिटेड को प्रस्तावित नंदिनी खुंदनी के लाइम स्टोन माइनिंग लीज देने के संदर्भ में आपत्ति ।
6.	श्री रविशंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, अहिवारा, जिला—दुर्ग ।	पर्यावरणीय जन सुनवाई (नंदिनी खुंदनी) बी.एस.पी. नंदिनी टाऊनशिप (पथरिया चौक) से नंदिनी विमानतल तक सड़क संधारण के संबंध में हमारा पक्ष ।
7.	आरती निर्मलकर, ग्राम—मेडेसरा, जिला—दुर्ग ।	ए.सी.सी. द्वारा संचालित चूना पत्थर के उत्पादन कार्यों में कोई आपत्ति नहीं है ।



8.	श्री हेमशंकर शर्मा, कृषक, जामुल जिला—दुर्ग।	नंदिनी खुंदनी ए.सी.सी. लिमिटेड का खदान का लीज मिलना चाहिये।
9.	श्री एलन दास पाटिल, ग्राम—नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग।	ए.सी.सी. को माइन्स खनन की पूर्ण सहमति देने बाबत।
10.	समस्त ग्रामवासी, ग्राम—नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग।	ए.सी.सी. द्वारा माइनिंग कार्य करने की कोई आपत्ति नहीं होने बाबत।
11.	श्री प्रेमलाल देशलहरे, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
12.	श्री प्रेमलाल देशलहरे ग्राम—नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग। 	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर अपना लिखित में प्रस्ताव देने बाबत।
13.	समस्त ग्रामवासी, ग्राम—नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग।	प्रस्ताव के संबंध में आवेदन।
14.	श्री राजू, ग्राम—पथरिया, नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
15.	श्री विजय कुमार, पथरिया जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
16.	श्री मनू लाल, पथरिया जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
17.	श्री अनिल, ग्राम—नंदिनी खुंदनी, जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
18.	श्री राजकुमार, ग्राम—पथरिया, नंदिनी खुंदनी जिला—दुर्ग।	ग्राम नंदिनी खुंदनी, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत चूना पत्थर माइनिंग लीज से उत्पादन विस्तार पर सहमति बाबत।
19.	देवकी कश्यप, ग्राम—मेडेसरा, जिला—दुर्ग।	ग्राम—नंदिनी खुंदनी में तहसील धमधा जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल को स्वीकृत माइनिंग लीज के सहमति बाबत।
20.	राजेश्वरी, ग्राम—मेडेसरा, जिला—दुर्ग।	ग्राम—नंदिनी खुंदनी तहसील—धमधा जिला—दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड द्वारा



		माइनिंग लीज से उत्पादन को और गति बढ़ाने पर सहमति बाबत्।
21.	कल्याणी पटेल, ग्राम—मेडेसरा जिला—दुर्ग	ग्राम—नंदिनी खुंदनी में एसीसी. जामुल को स्वीकृत माइनिंग लीज के उत्पादन में विस्तार पर सहमति हेतु।
22.	गौरी निषाद, ग्राम—मेडेसरा जिला—दुर्ग	शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने बाबत्।
23.	श्री एल.आर. खरे।	लोक सुनवाई बाबत्।
24	श्री मन्नूलाल खरे, पंच।	लोक सुनवाई बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों में से कुल 89 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला—दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए शाम 2.25 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(सुनील जैन)
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला—दुर्ग